संख्या-84/2022/25रासनि/23-1-22-11रासनि/21टीसी

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक:: 23 मार्च, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद वाराणसी के स्वीकृत चालू कार्य हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन ।

महोदय ,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-712सीजी/02रासनि(आवंटन)/3054/मूल/2021-22, दिनांक 2022.03.14 द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक 3054 के अन्तर्गत कार्यालय प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 07.03.2022 द्वारा विभिन्न जनपदों के कुल 28 मार्गों के चालू कार्यों हेतु कुल रू0 1483.41 लाख की मांग के प्रस्ताव के क्रम में निर्गत शासनादेश सं0-82/2022/20रासनि/23-1-22-11रासनि/21टीसी, दिनांक 09.03.2022 के साथ संलग्न सूची के क्रम सं0 26 पर मार्ग का नाम 'उमरहा जाल्हूपुर मुस्तफाबाद रमचन्दीपुर गोबरहा मोकलपुर मार्ग पर कि0मी0 11.800 से 12.200 में गंगा नदी पर सोता का पहुंच मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य'(लागत रू0 152.21 लाख) के स्थान पर 'डोमपुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कि0मी0 1 से 4(900)' अंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2022 में क्रम सं0-26 पर अंकित मार्ग का नाम 'डोमपुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कि0मी0 1 से 4(900)' के स्थान पर 'उमरहा जाल्हूपुर मुस्तफाबाद रमचन्दीपुर गोबरहा मोकलपुर मार्ग पर कि0मी0 11.800 से 12.200 में गंगा नदी पर सोता का पहुंच मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-82/2022/20रासनि/23-1-22-11रासनि/21टीसी, दिनांक 09.03.2022 में संलग्न तालिका के क्रम सं0-26 पर अंकित मार्ग का नाम 'डोमपुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कि0मी0 1 से 4(900)' के स्थान पर 'उमरहा जाल्हूपुर मुस्तफाबाद रमचन्दीपुर गोबरहा मोकलपुर मार्ग पर कि0मी0 11.800 से 12.200 में गंगा नदी पर सोता का पहुंच मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य पढ़ा व समझा जाय।

3- विषयगत शासनादेश सं0-82/2022/20रासनि/23-1-22-11रासनि/21टीसी, दिनांक 09.03.2022 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(राजेश प्रताप सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**